

भारत में सुशासन के मार्ग के रूप में आर्टीआई अधिनियम की भूमिका

1अखिलेश कुमार पांडेय, 2डॉ सुरेश नागर2डॉ सुरेश नागर

¹(शोध छात्र, मोनाड विश्विद्यालय हापुड)


²(सहायक प्राध्यपाक, विधि विभाग, मोनाड विश्विद्यालय हापुड)

सार- लोकतंत्र के लिए सुशासन एक पूर्वाकांक्षित आधार है। इस तरह के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन और लोगों की भागीदारी जैसे कुछ कारक शामिल होते हैं। हर लोकतांत्रिक देश में सुशासन और पारदर्शिता की जरूरत होती है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत में भी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से, खुले तौर पर और पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति दी जाए। शासन से सुशासन में परिवर्तन तभी संभव है, जब शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और सूचना तक मुक्त पहुंच की संभावना हो। इस तथ्य को महसूस करते हुए, भारतीय संसद ने सरकार को जवाबदेह, जिम्मेदार, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, न केवल सम्मान के साथ जीवन जीने की राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वीकार करता है बल्कि वर्चस्व और भेदभाव से मुक्त भी है।

सूचक शब्द - सुशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार, जवाबदेही, पारदर्शिता

परिचय - 'शासन' की अवधारणा कोई नई नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि सरकार। दोनों शब्द क्रमशः फ्रांसीसी शब्द शासन ¼Governance½ और सरकार ¼Government½ से लिए गए हैं। 'शासन' शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम संस्थागत सुधार और एक बेहतर और अधिक कुशल सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता का वर्णन करने के लिए उप-सहारा देशों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों (विश्व बैंक आदि) द्वारा किया गया किया गया था। इसने शासन को "राजनीतिक शक्ति का एक राष्ट्र के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रयोग" के रूप में परिभाषित किया। सुशासन, नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षता, वैधता और आम सहमति के सिद्धांतों के आधार पर एक जिम्मेदार, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से कार्य करने वाले एक सहभागी सरकार को दर्शाता है, जो सरकार के द्वारा समाज के भौतिक कल्याण और सामाजिक न्याय के साथ सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के आस्तित्व का संकेत देता है।

सुशासन का विचार भारतीय सभ्यता जितना ही पुराना है। प्राचीन समय में शासक धर्म से बंधे हुए थे, जिसे लोकप्रिय रूप से 'राज धर्म' कहा जाता था, जिसका मतलब लोगों को सुशासन सुनिश्चित करना था। राजाओं के दैवीय अधिकारों या मनमानी शासन के किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं थी। राज धर्म, आचार संहिता या कानून का शासन था; जो शासक की इच्छा से श्रेष्ठ और उसके सभी कार्यों को नियंत्रित करता था। महाभारत के शांति पर्व में राज धर्म को काफी स्थान दिया है जिसका उद्देश्य समाज में सुशासन स्थापित करना है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में सुशासन को राज धर्म कहा गया है, अर्थात् राजा का धर्म ही सुशासन स्थापित करना है। महाभारत के शांति पर्व -अनुशासन पर्व, शुक्राचार्य के नीतिसार, वाल्मीकि के रामायण, पणिनि के अष्टाध्यायी, ऐत्रेय ब्राह्मण और कोटिल्य के अर्थशास्त्र में सुशासन का वर्णन प्राप्त होता है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में घोषणा की "अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और उनके कल्याण में उनका कल्याण है।"¹ कानून के शासन, निर्णय लेने की भागीदारी संरचना, पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता जैसे बुनियादी मानक सुशासन का प्रतीक है।



एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एवं उपलब्ध और उपयुक्त जानकारी तक पहुंच, नागरिक को सभ्य समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। इसके अलावा सूचना के अधिकार और सुशासन के बीच घनिष्ठ संबंध है। सूचना के अभाव में, लोग सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते हैं और समाज में हमेशा हाशिए पर रहने वाले समूह बने रहेंगे। यह लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली साधन है। शासन से सुशासन में परिवर्तन तभी संभव है, जब शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और सूचना तक मुक्त पहुंच की संभावना हो। इस तथ्य को महसूस करते हुए, भारतीय संसद ने सरकार को जवाबदेह, जिम्मेदार, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है। इस अधिनियम से पहले आम लोगों को सार्वजनिक नीतियों और खर्चों के बारे में जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। भारत में सुशासन की अवधारणा सीधे तौर पर जानने के अधिकार से निकलती है जो संविधान के अनु0191(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।

साहित्य समीक्षा

सुशासन और सूचना का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू। सूचनाओं के आदान-प्रदान से लोकतंत्र मजबूत होता है और जो अंततः लोकतंत्र को सुशासन की ओर ले जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। कानून का शासन, समान भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी सुशासन की बुनियादी तत्व हैं। सूचना के अधिकार को सुशासन और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कहा गया है। सूचना का अधिकार और दायित्व अधिनियम के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण जनता से संबंधित जानकारी को सक्रिय रूप से प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

वर्तमान अध्ययन के प्रयोजन और उद्देश्य

1. सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है।
2. नागरिकों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें सभी विकास गतिविधियों में भागीदार बनाने में सहयोग कर रहा है।

परिकल्पना

1. शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार से बढ़ावा देने में मदद कर रहा है।
2. नागरिकों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करने और विकास गतिविधियों में भागीदार बनाने में सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार से मदद कर रहा है।

आर टी आई अधिनियम का इतिहास

1970 के दशक में ही सूचना के अधिकार का विचार ने आकार लेना शुरू कर दिया था, न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मौलिक अधिकारों की उदार व्याख्या के साथ, विशेष रूप से अनु0 19 1 (ए) के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत सूचना के अधिकार की व्याख्या की है। भारत सरकार ने "सरकार में जवाबदेही" पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर शैरी समिति की नियुक्ति की, जिसने एक मसौदा तैयार कर आरटीआई विधेयक का सुझाव सरकार को दिया। जिसके पश्चात सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 नामक मसौदे को जनवरी 2003 में पारित किया गया। इस बीच कई राज्य सरकारों ने पहले ही आरटीआई अधिनियमों के अपने-अपने संस्करण पारित कर दिए। उदाहरण के लिए, 1997 में दो राज्यों तमिलनाडु और गोवा द्वारा अपने-अपने आरटीआई अधिनियम पारित किया गया। जल्द ही अन्य राज्यों ने इसका अनुसरण किया और वर्ष 2005 तक, नौ राज्यों ने अपने-अपने आरटीआई अधिनियम पारित किये लेकिन केंद्रीय विधायिका द्वारा आरटीआई अधिनियम पारित होने के साथ, राज्य स्तरीय आरटीआई अधिनियम खारिज हो गये। आरटीआई अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर (J & K) को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का अपना आरटीआई अधिनियम है।

सर्वप्रथम सरकार ने 2002 में संसद में सूचना का अधिकार विधेयक पेश किया। यह विधेयक लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। फिर कई संशोधनों के बाद "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" नामक एक अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। अधिनियम के अनुसार सूचना का अर्थ दस्तावेजों के रूप में सामग्री, मेमो, ई-मेल, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, अनुबंध, रिपोर्ट, डेटा सामग्री। इस अधिनियम में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, और सरकार या किसी गैर-सरकारी संगठन के स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकाय शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं।

इस अधिनियम द्वारा भारत का नागरिक अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के द्वारा किए गए सार्वजनिक हित, सुशासन और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं, सरकारी कृत्यों और निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं, ऑडिट, समीक्षा, जांच और मूल्यांकन कर सकते हैं। आरटीआई लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को चलाने में सरकार में नागरिक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार भारत के संविधान की धारा 19 (1) (ए) से प्राप्त एक बुनियादी मानव अधिकार है। इसमें कहा गया है, सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 नागरिकों के जीवन के अधिकार से संबंधित है। हालांकि, सूचना के अधिकार का मतलब बिना किसी प्रतिबंध के सूचना के मुक्त प्रवाह से नहीं है। अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, सूचना के अधिकार में भी कुछ उचित प्रतिबंध हैं। यह आम तौर पर पार्टियों और राजनीति या नौकरशाही दिनचर्या के व्यक्तिगत स्वार्थ के उद्देश्य से वांछित है। **बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ² 1973 AIR 106] 1973 SCR 1/2 757** वाद में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कला द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 (1) (ए) के तहत सूचना का अधिकार शामिल है।

यूपी राज्य बनाम राज नारायण³ 1975 AIR 865] 1975 SCR 1/3 333 वाद में, न्यायमूर्ति मैथ्यू ने स्पष्ट रूप से कहा; यह जनता के हित में नहीं है कि वे सामान्य नियमित व्यवसाय को गोपनीयता के पर्दे से ढकें, अपने कृत्यों को समझाने और उन्हें सही ठहराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य सुरक्षा कवच है।

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बनाम बंगाल क्रिकेट संघ⁴ 1/1995 2 SCC 161 वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार बोलने की स्वतंत्रता में शामिल था।

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ⁵ AIR 1982 SC 149] 1981 Supp 1/1 1/2 SCC 87] 1982 2 SCR 365 वाद में, प्रत्येक सार्वजनिक अधिनियम के बारे में जानने के लोगों के अधिकार, और सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक सार्वजनिक लेनदेन का विवरण चित्रित किया गया था।

पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ⁶ (2004) 12 SCC 104 वाद में, सूचना के अधिकार को एक मानव अधिकार का दर्जा दिया गया था, जो शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक था। इस बात पर भी बल दिया गया कि शासन सहभागी होना चाहिए।

एस्सार ऑयल लिमिटेड बनाम हलार उत्कर्ष समिति⁷ 1/2004 2 SCC 392 वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकलता है। वाद में जस्टिस एसबी सिन्हा और जस्टिस बी एम खरे द्वारा गठित भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि "सूचना का अधिकार 'भाषण और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता का एक पहलू है, जैसा कि निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में। इस प्रकार, सूचना का अधिकार निर्विवाद रूप से एक मौलिक अधिकार है।"

यूनिन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म⁸ 1/2002 5 SCC 294 वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाताओं का यह अधिकार कि वे सांसदों या विधायकों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के अपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त के बारे में जाने, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक मौलिक और बुनियादी है। मतदाता वोट डालकर बोलते या व्यक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम की मौन विशेषता

सभी भारतीयों के पास सूचना का अधिकार है। सामान्य मामले में आवेदक अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना, यदि यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का मामला है, तब इस परिस्थिति में सूचना अनुरोध के समय से 48 घंटे के भीतर प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण लिखित अनुरोध या मौखिक अनुरोध पर जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इंकार करने या सूचना प्रदान नहीं करने पर जुर्माना रु. 250/- प्रति दिन लेकिन जुर्माना की कुल राशि 25,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश के संबंध में कोई भी न्यायालय किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है, उनका विवरण अधिनियम की धारा 8 और 9 में दिए गए हैं।

जानकारी के प्रकटीकरण से छूट: इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा,-

1. सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को बढ़ावा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
2. सूचना जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है।
3. सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा।
4. वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम न हो।
5. प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है।
5. किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है।
6. विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना।
7. सूचना जो अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है।
8. मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजातः
9. सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान होगी।

कौन बहिष्कृत है?

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठन आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं हैं। इसमें शामिल हैं- इंटेलेजेंस ब्यूरो, कैबिनेट सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण विंग, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विमानन अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, सीआईडी विशेष शाखा (अंडमान और निकोबर), अपराध शाखा सीआईडी (दादरा और नगर हवेली), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोप और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी को अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत बाहर नहीं किया जाएगा। यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य⁹ 1/2013 1 SCC 212 (1/2012 8 SCR 1097) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर रिटर्न में प्रकट किए गए विवरण "व्यक्तिगत जानकारी" हैं, जिन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (जे) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। जब तक कि इसमें व्यापक जनहित शामिल न हो और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट न हों कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है।

भारत में सुशासन में आरटीआई की बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां भ्रष्टाचार और अपराधीकरण प्रशासन की नस है और इस भ्रष्टाचार का स्रोत वह शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 है जिसे कार्यपालिका द्वारा लंबे समय तक बनाए रखा है, इसलिए आरटीआई अधिनियम की शुरुआत भ्रष्टाचार को कुछ हद तक कम करने की दिशा में कदम है। एक प्रबुद्ध और साथ ही एक

समृद्ध समाज के निर्माण की हमारी खोज में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रकार, अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं -

प) सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता।

पप) निर्णय लेने की

प्रक्रिया में नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचित नागरिक।

पपप) सरकार की जवाबदेही और प्रदर्शन में सुधारा। तथा

पपप) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार में कमी।

भ्रष्टाचार की संस्कृति समाज में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है और जिसका किसी भी लेन-देन का हिस्सा होने की उम्मीद है। अतीत में, लोगों ने अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन एक वैध मांग के लिए या सेवाओं के नागरिकों के हकदार होने के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। भारत में, भ्रष्टाचार के निरंतर अस्तित्व के लिए शासन की कमजोर प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया गया है। भ्रष्टाचार को कार्यपालिका की नीतिगत विकृति, संस्थागत प्रोत्साहन और कमजोर शासन का परिणाम भी माना जाता है। कई लोग भ्रष्टाचार के विकास को इसकी औपनिवेशिक जड़ों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि शासन में गोपनीयता की संस्कृति, जो ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई और अब भी जारी है, ने भ्रष्टाचार को कायम रखा है जिसके कारण बड़ी मात्रा में जनता का पैसा जो विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए आता है उनका उपयोग सबन्धित अधिकारियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए कर लिया जाता है। कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को पारदर्शिता से रोका जा सकता है इसलिए ही पारदर्शिता को सुशासन का मील का पत्थर कहा जाता है।

पारदर्शिता का अर्थ यह है कि कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय और उनका प्रवर्तन इस तरह से किया जाय जो नियमों और विनियमों का पालन करता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ऐसी जानकारी उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और सीधे पहुंच योग्य है जो ऐसे निर्णयों और उनके प्रवर्तन से प्रभावित होंगे। हालांकि केंद्र सरकार के कुछ विभागों को इस अधिनियम से छूट दी गई है लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होने पर जानकारी मांगी जा सकती है।

शहजाद सिंह बनाम डाक विभाग¹⁰ **CIC/BS/A/2016/901850** दिनांक 05.03.2018 मामले में केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी पाया कि सूचना से इनकार करने के बहाने 'लापता फाइलों' का बार-बार संदर्भ पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए एक बड़ा खतरा है और सूचना के अधिकार के उल्लंघन का प्रमुख कारण भी है। पिछले 11 वर्षों के दौरान लाखों आरटीआई आवेदन इसी आधार पर पीआईओ द्वारा खारिज कर दिए गए होंगे।

ओम प्रकाश बनाम जीएनसीटीडी,¹¹ **CIC/DS/A/2013/001788-SA** दिनांक 29-08-2014 मामले में सीआईसी ने यह नोट किया कि प्रथम दृष्टया, सार्वजनिक प्राधिकरण फाइल को गुम होने का बहाना बनाकर अपीलकर्ता के वैकल्पिक भूखंड प्राप्त करने के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता है।

सुशासन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है, जो विकास प्रक्रिया में भागीदार ऐसे हितधारकों के प्रति पूर्ण जवाबदेही शामिल है। जवाबदेही के बिना, विकास किसी भी विफलता की जड़ का पता नहीं लगाया जा सकता है। सरकार ही नहीं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी लोगों के प्रति जवाबदेह हों। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है। जवाबदेही में एक ऐसे तंत्र का अस्तित्व शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक और अधिकारी दोनों अपने कार्यों, प्रदर्शन और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के लिए जवाबदेह हैं। यदि वे जवाबदेही बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो उनकी शक्ति और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जवाबदेही ने हमेशा सरकारी अधिकारियों के बीच प्रभावशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा की। भ्रष्टाचार की जड़ों पर हमला करने के लिए आरटीआई अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में पर्याप्त रूप से मजबूत है। जब तक इसके बीज उच्चतम स्तर पर बोए जाते हैं, तब तक निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार हमेशा बना रहेगा।

एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ,¹² **AIR 1982 SC 149** सुशासन की अवधारणा सीधे अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानने का अधिकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित प्रतीत होता है; से निकलती है। सभी आधुनिक सरकारें मानती हैं कि खुलापन सुशासन के सिद्धांतों में से एक है। यह तीन उद्देश्यों को पूरा करता है, पहला, नागरिकों द्वारा सरकार का मूल्यांकन दूसरा, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी और तीसरा, यह मतदाताओं पर अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर नजर रखने और पांच साल बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बेकार नहीं बैठने का कर्तव्य रखता है।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा:- %&

*"We live in an age of information in which the free flow of information and ideas determines the pace of development and well-being of the people. The implementation of the RTI Act is therefore, an important milestone towards our quest for building an enlightened and at the same time a prosperous society. Therefore, the exercise of the Right to Information cannot be the privilege of only a few"*¹³

सूचना के अधिकार के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा:-

"Digital India, which was the part of good governance campaign of the government, was complementary to RTI because putting information online brings transparency which in turn brings trust".¹⁴

निष्कर्ष और सुझाव

सूचना के अधिकार और सुशासन के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। सूचना का अधिकार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। सुशासन का सार पारदर्शिता और जवाबदेही है और इसे सूचना के अधिकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है या सुविधा प्रदान की जाती है। यह लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग की संभावना को कम करता है। चूंकि अधिनियम लोगों के हित के लिए तैयार किया गया है, इसलिए इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे अधिनियम का प्रयोग कैसे करते हैं। सुशासन के लिए इसका प्रयोग लोगों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों, आरटीआई अधिकारियों के बीच समन्वय, सरकारी विभागों के बीच सत्यनिष्ठा और सरकार और निर्वाचित नेताओं से राजनीतिक इच्छाशक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण आज भारतीय नौकरशाही की नस है। भारतीय नौकरशाही ने, जिस गोपनीयता को बनाए रखा है वह भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का एक

स्रोत है। अपने कृत्यों को समझाने और उन्हें सही ठहराने की अधिकारियों की जिम्मेदारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना का अधिकार मुख्य सुरक्षा कवच है।

भारत में सूचना के अधिकार की गारंटी संविधान के अनु0 19(1)(ए) को अनु0 21 के साथ मिलाकर व्याख्या करने में निहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम को स्वतंत्र भारत के सभी अधिनियमों में सबसे क्रांतिकारी माना जाता है। सूचना का अधिकार और सार्वजनिक मामलों में व्यापक नागरिक भागीदारी का आश्वासन और एक सक्रिय नागरिक समाज लोकतंत्र की पूर्ण प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह कानून बहुत व्यापक है और शासन के लगभग सभी मामलों को कवर करता है और इसमें व्यापक क्षमता है, जो सभी स्तरों पर सरकार पर लागू होती है- संघ, राज्य और स्थानीय के साथ-साथ सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसका यदि समझदारी और कुशलता से उपयोग किया जाए तो देश को नए लोकतंत्र और सुशासन की दिशा में ले जा सकता है। यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है परन्तु सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में बड़ी खामियाँ हैं जो कभी-कभी उनके जीवन की साथ समाप्त हो जाता है। वर्ष २०११ की बाद से सूचना कार्यकर्ताओं पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है इस प्रकार की हमलों को रोकने की लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम विशेष रूप से सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है हालाँकि सूचना आयोगों को सूचना अधिनियम के धारा १८(१)(f) के तहत हमले या धमकी की शिकायत प्राप्त होने पर जहाँ प्रथम दृष्टया शिकायत योग्यता प्राप्त हो तो धारा १८(२) के तहत जाँच शुरू करनी चाहिए। धारा १८ (३) के तहत आयोगों को दीवानी अदालत की शक्तियाँ प्रदान करता है।

पिछले १५ वर्षों में लगभग ८६ सूचना कार्यकर्ता की हत्या और लगभग १७५ लोगो पर जनता जान लेवा हमला हुआ है लगभग ७ कार्यकर्ताओं द्वारा आत्महत्या की कोशिश और लगभग १८४ लोगो द्वारा परेशान किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इन्सैटिव के अध्ययन के अनुसार २०१२-१३ से २०१८-१९ के बीच केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में RTI आवेदन की संख्या में लगभग ८३% प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उसके सापेक्ष अनिवार्य CPIO की संख्या में केवल १३% की ही वृद्धि हुई है; जिससे RTI आवेदनों के लंबित होने की दर में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग को डाटा की अनिवार्य रिपोर्टिंग में गिरवाट दर्ज हुई है। १६ दिसम्बर २०१९ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को तीन महीने के अंदर अपने यहां आयुक्त नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन सरकारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज भी कई आयुक्त के पोस्ट खाली है।

किसी अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना उस अधिनियम की कमजोरी होती है। कोई अधिनियम प्रारम्भ में ही सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। उसमें समय-समय पर परिवर्तन के द्वारा ही उसे मजबूत बनाया जा सकता है। कई बार इस अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना का दुरुपयोग सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा किये जाने की संभावना रहती है परन्तु इस संभावना को कम करने के लिए प्राप्त सूचना के आधार पर किसी प्रकार की शिकायत की जांच न करने से सूचना प्राप्तकर्ता के इस अधिनियम का दुरुपयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए करने की संभावना को कम किया जा सकता है; जिसके लिए इस अधिनियम में समुचित संशोधन की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. कोटिल्य के अर्थशास्त्र
2. 1973 AIR 106] 1973 SCR 142½ 757
3. 1975 AIR 865] 1975 SCR 143½ 333
4. 1995 2 SCC 161
5. AIR 1982 SC 149; 1981 Supp (1) SCC 87; 1982 2 SCR 365
6. (2004) 12 SCC 104
7. 2004 2 SCC 392
8. 2002 5 SCC 294
9. (2013) 1 SCC 212; (2012) 8 SCR 1097
10. CIC/BS/A/2016/901850
11. CIC/DS/A/2013/001788-SA
12. AIR 1982 SC 149
13. Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister of India, Valedictory Address at the National Convention on RTI, October 15, 2006
14. Prime Minister, Narendra Modi, addressing at the 10th Annual Convention of RTI law.